फर्द अहकाम

नीरू कंवर **बनाम** शिवराज सिंह

लय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर

। 127/2019 वाद

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
15/7/21	पत्रावली पेश हुई। वकील वादिनी उपस्थित प्रति. सं. 10 की ओर से जवाबदावा पेश नहीं प्रति. सं. 10 का जवाब बन्द किया जाता है। वकील वादनी की बहस सुनी गई। वादिनी का वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बरान कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उप-खण्ड अधिकारी जयपुर (द्वितीय)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:32:46 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय, सांगानेर, जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्री हिम्मत सिंह आर० ए० एस०

वाद संख्या: 127/2019
प्रवेश तिथि: 26/8/2019

1. श्रीमती नीरू कंवर पत्नी श्री शिवराज सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पंवालिया तहसील सांगानेर, जिला जयपुर
—वादिनी

बनाम

1. शिवराज सिंह पुत्र स्व० श्री गणपतसिंह
2. बन्ने सिंह पुत्र स्व० श्री गणपत सिंह
3. राजकंवर पत्नि स्व० श्री गणपत सिंह
4. बुद्ध सिंह पुत्र स्व० श्री ईसर सिंह
5. मोहनसिंह पुत्र स्व० श्री ईसर सिंह
6. कल्याण सिंह पुत्र स्व० श्री ईसरसिंह
समस्त जाति राजपूत निवासियान ग्राम पंवालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
7. लालचन्द पुत्र चन्द्रालाल जाति जाट
8. राकेश पुत्र चन्द्रालाल जाति जाट
निवासीयान निठारवालो की ढाणी, खातीपुरा, तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
9. तेजकंवर पत्नि गोपालसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पंवालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
10. सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर
—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती
व स्थायी निषेधाज्ञा राज० काश्त० अधि० 1955
———×———×———×———

निर्णय

दिनांक 15/7/2024

वादनी ने एक वाद पत्र बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा राज० काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया जिसका सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि आराजी ख० नम्बर 1021 रकबा 0.59 हे०, 1022 रकबा 0.35 हे०, 424 रकबा 1.38 हे०, 981 रकबा 1.01 हे०, 984 रकबा 4.89 हे०, 985 रकबा [illegible] 986 रकबा 0.34 हे०, 987 रकबा 0.25 हे०, 988 रकबा [illegible]21 हे०, 989 रकबा 0.25 हे०, 990 रकबा 0.02 हे०, 992 रकबा [illegible] 993 रकबा 0.27 हे०, 994 रकबा 0.05 हे०, 995 रकबा [illegible] 996 रकबा 0.45 हे० 997 रकबा 0.13 हे०, 998 रकबा 0.[illegible] हे०, 999 रकबा 0.17 हे०, 1000 रकबा 0.22 हे०, 1001 रकबा 0.7[illegible] हे०, 1003 रकबा 0.44 हे०, 1005 रकबा 0.01 हे०, 1007 रकबा 0.45 हे०, 1008 रकबा
—लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:32:46 IST
Reason: SelfAttested

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

72 है०, 1009 रकबा 1.30 है०, 1010 रकबा 2.63 है०, 1023 रकबा 0.33 है०, 24 रकबा 0.25 है०, 1025 रकबा 0.05 है०, 1027 रकबा 0.73 है०, 1028 रकबा 0.30 है० कुल किता 30 कुल रकबा 19.60 है० वाके ग्राम पंचालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर की खातेदारी दर्ज है। उक्त भूमि में से खसरा नम्बर 990 रकबा 0.02 है० वाके ग्राम पंचालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर वादग्रस्त आराजी है। पक्षकारान एंव अन्य खातेदारान के मध्य पूर्व में दिनांक 24/09/2012 को 500/- रुपये के एक मुद्रापत्र पर बंटवारानामा लिखा गया था उस बंटवारानामा के मुताबिक वादग्रस्त भूमि ख० न० 990 रकबा 0.02 है० सम्पूर्ण प्रतिवादी संख्या 9 को दिया गया। माननीय न्यायालय के समक्ष पक्षकारान एंव अन्य खातेदारान के मध्य वादग्रस्त भूमि सहित अन्य खसरो को लेकर विभाजन का वाद उनवानी गणपत सिंह बनाम रामसिंह व अन्य चला जिसमें पक्षकारान के मध्य मुताबिक बंटवारानामा मे राजीनामा प्रस्तुत हुआ परन्तु सहवन से राजीनामा टाईप होते समय उसमें वादग्रस्त भूमि ख० न० 990 रकबा 0.02 है० राजीनामें में अंकित होने से रह गया परन्तु सहवन से राजीनामा टाईप होते समय इसमे भूमि वादग्रस्त ख० न० 990 रकबा 0.02 है० राजीनामे मे अंकित होने से रह गया। प्रतिवादी सं० 9 ने वादग्रस्त भूमि के निहित अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान पूर्व मे जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14/7/2006 वादीनी को कर दिया तब से वादिनी ही सम्पूर्ण भूमि वादग्रस्त पर काबिज काश्त व उपयोग उपभोग कर रही है। माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 9/6/2016 में भूमि वादग्रस्त खसरा नम्बर 990 रकबा 0.02 है० का उल्लेख नही होने की वजह से वादग्रस्त भूमि किसी भी खातेदार के खाते मे दर्ज नही हो सकी। वादीनी दिनांक 10/6/2019 को पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर बताया उक्त वादग्रस्त भूमि का अंकन किसी के भी नाम दर्ज नहीं है उसने अंतिम निर्णय व डिक्री व राजीनामे का अवलोकन करने पर उसे समस्त त्रुटि की जानकारी हुई। इस पर वादिनी ने प्रतिवादीगण से सम्पर्क कर वादग्रस्त भूमि की खातेदारी उसके नाम करवाने हेतु निवेदन किया तो प्रतिवादीगण ने वादिनी के नाम खातेदारी दर्ज कराने से इन्कार कर दिया जिस कारण वादिनी द्वारा भूमि वादग्रस्त के खातेदारी अधिकारी की घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण का पाबन्द कराने हेतु वाद पेश किया गया। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादीनी का वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 4, 5, 6 की ओर से श्री राजेश कं[illegible] प्रतिवादीगण की ओर वकालतनामा पेश नही होने व अदि[illegible] अनुपस्थित रहे। तथा प्रति.सं. 7, 8 व 9 बावजूद [illegible] इस प्रकार प्रतिवादी सं. 1, 2 व 3 [illegible] उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादी सं. 1 [illegible] के विरुद्ध दिनांक 10/10/2022 को एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 10 [illegible] ओर से जवाबदावा पेश नही हुआ। प्रति.सं. 10 का जवाब बन्द किया गया।

— लगातार

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:32:46 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादिनी की बहस सुनी गई। वकील वादनी ने अपनी बहस मे दावे में अंकित तथ्यो दोहराते हुऐ वादकी का वाद डिक्री फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

पत्रावली, राजस्व रिकार्ड, बंटवारानामा 24/9/2002, राजीनामा, डिक्री दिनांक 7/11/2012, विक्रय पत्र दि० 14/7/2006 का आलोचनात्मक अवलोकन करने व वकील वादनी की बहस का मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादग्रस्त आराजी ख०न० 990 रकबा 0.02 है० वाके ग्राम पंवालिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर को प्रतिवादी सं. 9 तेजकंवर ने अपने सम्पूर्ण हिस्से का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14/7/2006 को वादिनी को कर दिया गया। वादिनी ही सम्पूर्ण भूमि वादग्रस्त पर काबिज काश्त है। इससे पूर्व न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट जयपुर शहर प्रथम मुकाम जयपुर मे विचाराधीन मु० न० 126/2003 उनवान गणपतसिंह व अन्य बनाम रामसिंह व अन्य में पक्षकारान के मध्य हुऐ बंटवारानामा में श्रीमती तेजकंवर के हक मे अन्य आराजी खसरा नम्बरान के साथ वादग्रस्त ख०न० 990 रकबा 0.02 आई थी। इसी अनुसार राजीनामा पेश किया गया लेकिन प्रस्तुत राजीनामा में सहवन से ख० न० 990 टाईप होने से रह गया था। जिसकी वजह से भूमि वादग्रस्त ख०न० 990 रकबा 0.02 है० के संबंध मे न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक निर्णय एवं डिक्री दिनांक 7/11/2012 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 9/6/2016 मे कोई निर्णय पारित नही हो सका। माननीय न्यायालय के समक्ष वाद उनवान गणपतसिंह बनाम रामसिंह व अन्य मे प्रस्तुत राजीनामा का अवलोकन करने पर ख० न० 990 रकबा 0.02 है० भूमि किसी अन्य पक्षकार को भी नही दी गई है लेकिन सहवन व टाईपिंग मिस्टेक से राजीनामे मे ख० न० 990 रकबा 0.02 है० भूमि टाईप होने से रह गई थी। प्रतिवादी संख्या 9 ने वादिनी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 14/07/2006 बेचान कर दिया तथा वादिनी को मौके पर कब्जा दे दिया गया। इस प्रकार वादिनी का वाद काबिल डिक्री योग्य प्रतीत होता है।

अत: आदेश दिये जाते है कि वादिनी का वाद इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 990 रकबा 0.02 है० वाके ग्राम पंवालिया तहसील सांगानेर का वादिनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। पर्चा डिक्री प्रपत्र से तैयार कर पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 15/7/2024 को खुले न्यायालय मे सरे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:32:46 IST
Reason: SelfAttested